198-A

संख्याः 60/ III (3)/13–25(सामान्य)/12

प्रेषक,

धीरेन्द्र सिंह दताल,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–3 देहरादून, दिनांकः 12 मार्च, 2013

विषयः–13 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में 02 कार्यों की प्रशासकीय, वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शा0 सं0–448/III (3)/12–10(सामान्य)/10 टी0सी0–I दिनांक 21.08.2012, शा0सं0–510/III (3)/12–10(सामान्य)/10 टी0सी0–I दिनांक 12.11.2012, शा0सं0–766/III (3)/12–10(सामान्य)/10 टी0सी0–I दिनांक 03.01.2013, शा0सं0–40/III (3)/12–10(सामान्य)/10 टी0सी0–I दिनांक 17.01.2013 एवं शा0सं0–91/III (3)/12–10(सामान्य)/10 टी0सी0–I दिनांक 14.02.2013 के क्रम में 13 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्रदेश के मार्गों/पुलियों के अनुरक्षण हेतु आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये 02 कार्यों के सम्बन्ध में, 13 वें वित्त आयोग के प्राविधानों के अधीन मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची में उल्लिखित विवरणानुसार अंकित कार्यों हेतु धनराशि रू0 381.80 लाख (रू0 तीन करोड़ इक्कासी लाख अस्सी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किस्तों में किया जायेगा। अगली किस्त का आहरण पूर्व में आहरित धनराशि के पूर्ण उपयोग पर ही किया जाय।

(ii) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराना आवश्यक होगा।

(iii) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तथा सक्षम प्राधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि प्राविधिक स्वीकृति देते समय सारणी 12.17 का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय। बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य को प्रारम्भ न किया जाय।

(iv) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(v) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्येनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यो को सम्पादित कराना सुनिश्चित किया जाय।

(vi) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाये जाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय, तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय। आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(vii) शासनादेश संख्या–2047/IXIV–219(2006), दिनांक 30.05.2006 एवं संख्या–484/वि.आ.निदे./2010, दिनांक 19.04.2010 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

(viii) उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग में ई–प्रोक्योरमेंट सिस्टम लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–252/।।।(3)/2011–901(ए0डी0बी0)/2008 दिनांक 06.06.2011 में उल्लिखित बिन्दुओं/व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(ix) यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है, तो उस योजना हेतु इस शासनोदश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

(x) धनराशि जिस सड़क के लिए स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय उसी सड़क के लिए किया जायेगा।

(xi) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का शत प्रतिशत उपयोग दिनांक 31.03.2013 तक सुनिश्चित कर लिया जाय। धनराशि लैप्स होने पर इसका पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(xii) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 एवं समय–समय पर निर्गत नियम/शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही कार्य कराया जाय।

(xiii) वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु संस्तुत धनराशि का शत–प्रतिशत व्यय करना होगा अन्यथा अगले वर्ष में अनुदान की धनराशि प्राप्त नहीं होगी। धनराशि लैप्स होने पर इसका पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा तथा अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र दिनांक 15.05.2013 तक अनिवार्य रूप से शासन में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(xiv) स्वीकृत कार्यो पर व्यय 13 वें वित्त आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–22 के लेखा शीर्षक 3054 सड़क तथा सेतु–04 जिला और अन्य सड़कें–आयोजनेत्तर–337 सड़क निर्माण कार्य–01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएँ–01–13 वें वित्त आयोग द्वारा प्रदेश के मार्गों/पुलियों का अनुरक्षण–29 अनुरक्षण मद के नामे डाला जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत रू0 381.80 लाख (रू0 तीन करोड़ इक्कासी लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि का आवंटन इन्टरनेट के माध्यम से संलग्न विवरणानुसार आई0डी0सं0–S130322014 दिनांकः 12.03.2013 द्वारा आपको आवंटित कोड सं0–4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है। अतः तद्नुसार अपर मुख्य सचिव, वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2012 एवं शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2012 में निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–1043/XXVII/(2)/2012, दिनांक 12 मार्च, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः– 02 कार्यों की सूची।

भवदीय,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव।

संख्या– 60/III(3)/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. निदेशक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, फाइनेंस कमीशन डिवीजन, 11वॉ ब्लॉक, 5वॉ तल, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/पौड़ी गढ़वाल।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. मुख्य अभियंता स्तर–1, लोक निर्माण विभाग, गढ़वाल क्षेत्र, पौड़ी।
9. सम्बन्धित अधीक्षण/अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग।
10. वित्त अनुभाग–2/ नियोजन प्रकोष्ठ/वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
11. लोक निर्माण अनुभाग 1 व 2, उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव

शासनादेश संख्याः 60/III(3)/13–25(सामान्य)/12, दिनांक 12 मार्च 2013 का संलग्नक।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई (कि0मी0)	लागत (लाख ₹ में)
1.	नौगांव–पौंटी–राजगढ़ी मोटर मार्ग का एस0डी0बी0सी0 द्वारा नवीनीकरण का कार्य।	29.30	196.87
2.	पौड़ी–कांसखेत–बांघाट–सतपुली मोटर मार्ग का बी0एम0, एस0डी0बी0सी0 द्वारा नवीनीकरण एवं सुधारीकरण का कार्य।	8.950	184.93
	योग		**381.80**

योग शब्दो में– (₹ तीन करोड़ इक्कासी लाख अस्सी हजार मात्र)

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव।